

कार्यालय

जिला पंचायत


अमरोहा।

पत्रांक : 1417 / जि0पं0अ / 2021

दिनांक : 10/8/21

**ढेकेदारी नवीनीकरण एवं पंजीकरण वर्ष 2021-22 हेतु सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला पंचायत अमरोहा में निर्माण कार्यों को सम्पादित कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 (लाईसेंस जारी दिनांक से दिनांक 31.03.2022 तक) के लिए पंजीकरण/नवीनीकरण कराने हेतु आवेदन पत्र दिनांक 31.08.2021 तक आमन्त्रित किये जाते हैं। आवेदनकर्ता को पंजीकरण/ नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र दिनांक 31.08.2021 तक कार्यालय जिला पंचायत अमरोहा में निम्न अभिलेखों की स्वयं प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ प्रस्तुत कराना अनिवार्य होगा। जैसे - चरित्र प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, G.S.T पंजीकरण, पैन कार्ड, अनुभव प्रमाण-पत्र, विभाग में कार्यरत कर्मचारियों, अधिकारियों, जिला पंचायत सदस्य के सम्बन्धी न होने का शपथ पत्र, बार काउन्सिल का सदस्य न होने का शपथ पत्र। पंजीकरण/नवीनीकरण का बिना कारण बताये अस्वीकृत/निरस्त करने का अधिकार सक्षम प्राधिकारी में निहित होगा। अन्य शेष शर्तें व विवरण कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में देखी जा सकती है। निर्धारित तिथि 31.08.2021 के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। विज्ञप्ति की सूचना <http://amroha.nic.in> पर देखी जा सकती है।

  
अपर मुख्य अधिकारी  
जिला पंचायत अमरोहा।